

*MS/1/10-68*

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18<sup>th</sup> June, 2015

S.O. \_\_\_\_\_ (E). In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "West Bengal Electricity Regulatory Commission", a Commission constituted under the Electricity Regulatory Commission Act, 1978 (West Bengal Act No. 14 of 1998), of West Bengal in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

(a) income from the fund maintained in accordance with the provisions of the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Manner of application of Fund) Rules, 2006;

(b) income from the fees collected in accordance with the provisions of the West Bengal Electricity (fees for application for grant of license) Rules, 2005, notified by the Government of West Bengal.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that West Bengal Electricity Regulatory Commission –

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 48/2015, F.No.196/36/2012-ITA-I]

*Deepshikha*

DEEPSHIKHA SHARMA  
Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

*MS 2015  
18/6*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)


नई दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1978 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 1998 की सं. 14) के अंतर्गत गठित आयोग पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग को उसे उद्भूत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है अर्थात:-

- (क) पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग के (निधियां लागू करने का ढंग) नियमावली, 2006 के उपबंधों के अनुसार निधियां लागू करने से आय;
- (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिसूचित, पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (लाइसेंस की मांग के लिए लागू शुल्क) नियमावली, 2005 के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत किए गए शुल्क से आय;
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए लागू रहेगी।
3. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होंगी; कि पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग:-
  - (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
  - (ख) उक्त आयोग के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप पूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहता है; और
  - (ग) आयोग अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या ...५.६.../2015 फा.सं. 196/36/2012-आ.का.नि-1]



(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,  
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।